

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/134/2019

श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय नरहरी भवन आई.टी. आई के पीछे पुरानी शिवबाड़ी रोड पटेल नगर बीकानेर (राजस्थान) ।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, भूअभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 17.12.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय नरहरी भवन आई.टी. आई के पीछे पुरानी शिवबाड़ी रोड पटेल नगर बीकानेर (राजस्थान) ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2019 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, भूअभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी, भूअभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/1030 दिनांक 03.12.2019 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, भूअभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी, भूअभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक/ 10160 दिनांक 12.12.2019 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं प्रभारी अधिकारी, भूअभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने प्रभारी अधिकारी, भूअभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, भूअभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/10160 दिनांक 12.12.2019 का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी, भूअभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 9.10.2019 से दो बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी। बिन्दु संख्या एक की सूचना के सम्बन्ध में प्रार्थी को नियमानुसार सूचना शुल्क राजकोष में जमा करा कर सूचना प्राप्त करने हेतु पत्र क्रमांक/9866 दिनांक 28.11.2019 से सूचित किया गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा राजकोष में सूचना शुल्क जमा नहीं करायी जाने के कारण इस बिन्दु की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई एवं प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 में चाही गई सूचना के संबंध में प्रकरण में प्राथमिक जांच विचाराधीन है। जांच पूर्ण होने पर सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी। इस बावत प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है । प्रभारी अधिकारी ने अपने जबाब की तार्ईद में पत्र क्रमांक/9866 दिनांक 18.11.2019 की प्रति संलग्न की है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को बिन्दु संख्या एक की नियमानुसार सूचना शुल्क जमा कराये जाने हेतु लिखा गया है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना शुल्क जमा नहीं कराया गया है। अतः अपीलार्थी वांछित सूचना शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त कर सकता है। बिन्दु

संख्या 2 में चाही गई सूचना के संबध में प्रकरण प्राथमिक जांच में विचाराधीन है। जांच पूर्ण होने पर सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी ।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, भूअभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे एवं निर्णय की प्रभारी अधिकारी, भूअभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

